

क्रमांक:- एफ.3(ख)/(/2022) अलेसे-II/6519

दिनांक:- 22.8.25

कार्यालय आदेश

निम्नांकित नव-नियुक्त कनिष्ठ लेखाकारों (परीविक्षाधीन, प्रशिक्षणार्थी) को उनके आवेदन के अनुसरण में अग्रिम अध्ययन की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र. सं.	नाम कनिष्ठ लेखाकार श्री/श्रीमती/सुश्री	पाठ्यक्रम का नाम	संस्थान जिससे पाठ्यक्रम किया जाना है/परीक्षा आयोजक संस्था	पदस्थापन कार्यालय
1.	चन्द्र प्रकाश	एम.ए प्रिवियस (राजनीति विज्ञान) वर्ष 2024-25 (स्वयंपाठी)	वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा।	अतिरिक्त निदेशक स्थानीय निधि अंवेक्षण विभाग, जोधपुर।
2.	बालकृष्ण चतुर्वेदी	एम.ए./एम.एस.सी फाइनल (भूगोल) वर्ष 2024-25 (स्वयंपाठी)	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।	मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, कोटा शहर, समग्र शिक्षा कोटा।
3.	भूपेन्द्र सिंह चौधरी	1. एम.ए प्रिवियस (मनोविज्ञान) वर्ष 2024-25 (स्वयंपाठी) 2. एम.ए प्रिवियस (ग्रामीण विकास) वर्ष 2023-24 (स्वयंपाठी)	1. वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा। 2. इंदिरा गांधी खुला विश्वविद्यालय, नई दिल्ली।	अतिरिक्त निदेशक स्थानीय निधि अंवेक्षण विभाग, जोधपुर।

उक्त अध्ययन स्वीकृति राजस्थान सिविल सेवा (आचरण) नियम 1971 के प्रावधानों एवं नियुक्ति आदेश में वर्णित शर्तों के अतिरिक्त निम्न शर्तों के अधीन होगी :-

1. शिक्षण संस्थान में अध्ययन का समय कार्यालय समय के समान हो तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः समाप्त मानी जायेगी।
2. प्रत्येक वर्ष के लिये अलग-अलग स्वीकृति लेनी आवश्यक होगी।
3. विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त किये बिना अध्ययन जारी रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने पर आपके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
4. उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु अथवा अध्ययन जारी रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति के अन्तर्गत परीक्षा, दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
5. अध्ययन जारी रखने की स्वीकृति दिये जाने से किसी स्थान विशेष पर पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकार नहीं मिल सकेगा और इस दौरान अन्यत्र स्थानान्तरण किया जा सकता है।
6. अध्ययन जारी रखने से दैनिक राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा/व्यवधान उत्पन्न होने पर यह स्वीकृति समाप्त कर दी जायेगी।
7. परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
8. प्रशासनिक कारणों से उक्त स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त की जा सकती है।

(बृजेश किशोर शर्मा)
निदेशक एवं पदेन
संयुक्त शासन सचिव

दिनांक:- 22.8.2025

क्रमांक:- एफ.3(ख)/(/2022) अलेसे-II/6519

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संबंधित विभाग/कार्यालय (तालिका के कॉलम 6 के अनुसार)।
2. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक।
3. उपनिदेशक (एसपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

(सीमा कौशल)
संयुक्त निदेशक (कार्मिक-II/III)